न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 64 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

1. रूघाराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.)।

–वादी

बनाम्

1. प्रहलादराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. तहसीलदार (राजस्व) तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री बलवन्त झोरड़ वकील वादी
2– श्री संजय धारणियां– वकील प्रति सं. 1
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 3

निर्णय

दिनांक :– 1-4-2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि चक 09 एसबीएन के खाता संख्या 72/61 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1.523 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है।चक 9 एसबीएन के खाता संख्या 72/61 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मध्य हुए घरू विभाजन के अनुसार वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि 0.762 है. का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी राजस्व रिकार्ड में रकबा वादी के नाम न होने रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण संख्या 3 के अनुसार घोषणा होना मान लो तो प्रतिवादी संख्या 1 पहले तो टाल मटोल करते रहे लेकिन बाद में ऐसा करने से इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

अतः लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जावे कि चक 9 एसबीएन के खाता संख्या 72/61 में वादी को 0.761 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या [illegible] की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। [illegible] रूघाराम ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत [illegible] शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 9 एसबीएन खाता संख्या 72/61 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 प्रदर्श–1 करवाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rak
Meena
Date: 2024.04.26 11:29
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 09 एसबीएन के खाता संख्या 72/61 खाता प्रहलाद वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुका है तथा वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलादराम वादी रूघाराम का सगा भाई है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 09 एसबीएन के खाता संख्या 72/61 खाता प्रहलाद वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 1/2 हिस्सा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलादराम के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादी सख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर अपना समस्त हक/ हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया ज़ाना उचित प्रतीत होता है। तथा वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलादराम पुत्र लेखराम के नाम चक 09 एसबीएन खाता संख्या 72/61 खाता प्रहलादराम वगैरा ज.स. 2070–2073 सांझा खाता में दर्ज आराजी का वादी रूघाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलादराम पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 1-4-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 64 / 2024

1. रूघाराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.)।

–वादी

बनाम्

1 प्रहलादराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. तहसीलदार (राजस्व) तह. संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवन्त झोरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलादराम पुत्र लेखराम के नाम चक 09 एसबीएन खाता संख्या 72 / 61 खाता प्रहलादराम वगैरा ज.स. 2070–2073 सांझा खाता में दर्ज आराजी का वादी रूघाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलादराम पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जावे।।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत्.....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी.....X..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया